तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28/6/17	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप0। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पत्र पत्रावली तलब कर अति शीघ्र सुनवाई कर इस पर आदेश जारी करने का प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण नेखबंदी का है। जिसमे किसी भी पक्षकार के हित तय नही होने है, केवल प्रार्थी के खेत की नेखंबदी की जानी है तथा वर्षा ऋतु नजदीक होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली तलब की गयी। प्रार्थी अधिवक्ता को मूल प्रार्थना पत्र पर सुना। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम – स्वाकी का गांव, पटवार हल्का – स्वामी का गांव, भु– अभिलेख निरीक्षक– गूंगा, तह0 शिव के खसरा नम्बर 105 रकबा 114.05 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा – सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है। तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थनगण सं0 1 से 07 नोटिस जारी की गये विप्रार्थी संख्या 01 से 07 की और से इकबाली जवाब प्रस्तुत किया की विप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खेत का न तो कभी सेढा तोडा है व नही सेढा तोड कर प्रार्थी के खेत में जबरन काश्त वगैरा ही की है न ही प्रार्थी के खेत के सेढा को लेकर विवाद किया है। अतः हम विप्रार्थीगण के खेतों के पुराने सेढा/माठो की छेडछाड किये हम विप्रार्थीगण के खेतो का रकबा पूर्ण करते हुए प्रार्थी के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो हम विप्रार्थीगण को कोई ऐतजराज नही है।	

Scanned by CamScanner

अतः वर्तमान सर्वेक्षण, नक्शे के आधार पर प्रार्थी की पक्की नेखबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

– आदेश –

अतः प्रार्थी सखी पुत्र अद्रीम, जाति– मुसलमान, नि0 स्वमी का गांव, तह0 शिव, जिला बाडमेर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम – स्वामी का गांव, पटवार हल्का – स्वामी का गांव, भु– अभिलेख निरीक्षक– गूंगा, तह0 शिव के खसरा नम्बर 105 रकबा 114.05 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार शिव को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/– रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :– **314/2018**

क्रमांक/आवेदन/19/3045 दिनांक– 5/7/19

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

सखी पुत्र अद्रीम, जाति–मुसलमान, नि0 स्वामी का गांव, तह0 शिव — **होथी खान पुत्र नागोदर खान वगैरा (07)**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण मे ग्राम – स्वाकी का गांव, पटवार हल्का – स्वामी का गांव, भु– अभिलेख निरीक्षक– गूंगा, तह0 शिव के खसरा नम्बर 105 रकबा 114.05 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमीशनर शुल्क 1000/– मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थी के खसरों की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/3046–51 दिनांक– 5/7/19

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी स्वामी का गांव को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक गूंगा द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना **शिव को पालनार्थ।**
5. प्रार्थी सखी पुत्र अद्रीम **को सूचनार्थ ।**
6. विप्रार्थीगण होथी खान पुत्र नागोदर खान **वगैरा (07) को सूचनार्थ।**

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 17:45:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: